बिहार विधान-सभा वादवृत्त

[भाग-२ कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित]

बुधवार, तिथि ३ जनवरी, १९७९ ई०।

विषय—सूची

विषय		पृष्ठ
श्री ठाकुर प्रसाद मंत्री के खिलाफ दिये गये ज्ञापन के सम्बन्ध में चर्चा शून्य काल में चर्चाएं :	....	२-४
(क) प्राथमिक शिक्षक संघ की जायज मांग को मानना	....	४
(ख) युवकों के समक्ष पोस्टल आर्डर का अभाव	....	४-५
(ग) इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से अल्पसंख्यकों में चिन्ता		५
(घ) बछवाड़ा प्रखंड के समसाघाट पर नौका दुर्घटना	....	५-६
(ङ) लोगों को गलत ढंग से फँसाया जाना	....	६
(च) राज्य के तमाम प्राथमिक शिक्षकों में असंतोष	....	६
(छ) पुलिस के सहयोग से महाजनों द्वारा आदिवासियों पर जुल्म	....	६-७

विधान कार्य : सरकारी विधेयक :

बिहार विधान-सभा द्वारा यथा पारित बिहार साइकिल-रिक्सा (लाइसेंस-विनियमन) विधेयक, १९७७ (विधेयक सख्या १३/७७) में बिहार विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधन ।

(इस अवसर पर माननीय मंत्री, नागरिक विकास विभाग सदन में, उपस्थित नहीं थे ।)

◊श्री वैद्यनाथ मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हुं: कि····

श्री नरसिंह बैठा—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, नागरिक विकास विभाग सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति आसन से ले ली है क्योंकि मंत्री, उत्पाद विभाग उनके बदले में विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष—मैंने उन्हें प्रस्ताव पेश करने की अनुमेति दे दी है ।

श्री वैद्यनाथ मेहता—मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

"बिहार विधान-सभा द्वारा यथा पारित बिहार साईकिल रिक्शा (लाइसेंस विनियमन) विधेयक, १९७७" में बिहार विधान-परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विधान सभा में विचार हो ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है·····

◊श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वायन्ट आफ आर्डर है । यह विधेयक आज के आर्डर पेपर में नहीं बंटा है । इसके लिये मैंने अध्यक्ष और सचिव से भी सम्पर्क स्थापित किया, मगर नहीं मिल सका । तो कैसे मानू कि यह सरकुलेट हो चुका है । हमलोगों को नहीं मिला है ।

श्री भोला प्रसाद सिंह—विधान परिषद् से क्या संशोधन होकर आया है वह हमलोगों को भी नहीं मिला है और यह भी पता नहीं चला है कि सरकार का क्या रूख है इसलिये पहले इसकी प्रति सदस्यों के बीच वितरित हो जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की बात मान लिया कि उन्हें आर्डर पेपर में वह चीज नहीं मिली । लेकिन जब कोई विषय विधान परिषद् से पास होता है तो उसकी सूचना सभा सचिव 'संदेश' के रूप में सदन में पढ़ देते हैं जो पढ़ दिया गया है । इसकी सारी प्रक्रिया सदन को जानकारी देने के सम्बन्ध में कर दी गयी है । अत: आप शांत रहें ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

बिहार विधान-सभा द्वारा यथा पारित "बिहार साईकिल रिक्सा (लाइसेंस विनियमन) विधेयक, १९७७" में बिहार विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विधान सभा में विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—अब खण्डश: विचार होंगे। तीन संशोधन हैं, श्रीमती कृष्णा शाही, श्री राजो सिंह एवं श्री टीकाराम मांझी का। श्रीमती कृष्णा शाही आप अपना संशोधन पुट करें।

श्रीमती कृष्णा शाही—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

"विधेयक के खण्ड ५ के मद (i) की पंक्ति सात में शब्द "पाँच" के स्थान पर शब्द "चार" रखा जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो असेम्बली द्वारा स्वीकृत हो ही चुका है, मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है, वह यह कि इसमें लिखा हुआ है कि तीन महीने तक का कारावास या पाँच सौ रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा। मैं सरकार को सुझाव देना चाहती हूँ कि रिक्शा ऑनर तो कोई टाटा, बिड़ला हैं नहीं कि वे पाँच सौ रुपये दे सकें, इसलिये मैंने ४०० रुपये करने का संशोधन उपस्थापित किया है, यह सरकार को मान लेना चाहिये।

श्री टीकाराम मांझी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"विधेयक के खण्ड ५ के मद (i) की पंक्ति सात में शब्द "पाँच" के स्थान पर शब्द "तीन" रखा जाय।

मैंने यह संशोधन इसलिये रखा है कि आपने तीन मास का कारावास रखा है इसलिये तीन सौ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये। रिक्शापुलर हैं, वे इससे अधिक नहीं दे सकते हैं।

श्री राजो सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"विधेयक के खण्ड ५ के मद (i) की पंक्ति सात में शब्द या दोनों को विलोपित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, धारा पाँच में लिखा हुआ है कि तीन महीने तक का कारावास या पाँच सौ रुपयें का जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा। जब हमलोगों ने पास किया था तो इसमें यह प्रोभिजन नहीं था, यह कौंसिल द्वारा प्रोभिजन किया गया। मैं पुन: सदन से अनुरोध करुंगा कि जिस रुप में हमलोगों

ने पास किया था उसी रूप में इसको पास करना चाहिये। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, इससे समाज में कोई क्रांतिकारी परिवर्त्तन होने वाला नहीं है। श्री यशवन्त कुमार चौधरी जी बराबर कहते हैं कि जनता सरकार काया पलट कर रही है, लेकिन इससे कोई काया पलट होने वाला नहीं है। यह हमारा संशोधन है, इसको माननीय मन्त्री, श्री बैद्यनाथ मेहता जो पायलॉट कर रहे है, स्वीकार कर लें।

श्री बैद्यनाथ मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, विधान-सभा में तो यह पहले ही विचार हो चुका है और इस पर प्रकास डाला गया है, इसके बाद विधान-परिषद् में गया, तो विधान परिषद ने विचार कर रखा है, मैं समझता हूँ कि इस पर दोनों शदनों में बातें हो गयी हैं, इसलिए इसमें संशोधन करना मुनासिब नहीं होगा, यदि यही क्रम चलता रहा तो फिर यह विधान-परिषद् में जायेगा, फिर विधान परिषद् से यहाँ आये—इसमें काफी डिले हो जायेगा और इस तरह जो हम भलाई करना चाहते हैं इसमें डिले होगा। इसलिए माननीय संदस्य गण से अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यगण अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री राजो सिंह—आप ज्वायंट सेशन बुलाकर इसको कर लें।

उपाध्यक्ष —श्रीमती कृष्णा साही, क्या आप अपना संशोधन वापस लेंगी ?

श्री कृष्णकान्त सिंह—रिक्शावाला पर हूजूर रहम होना चाहिये, एक होना चाहिये, लेकिन वहाँ दोनो कर दिया गया, विधान परिषद् द्वारा फाइन एवं पनिशमेंट दोनो ही कर दिया गया, एक ही बहुत काफी था, लेकिन वहाँ दोनों कर दिया गया।

उपाध्यक्ष - यह विधेयक विधान-सभा से पास हुआ था कि तीन महीने का कारावास दिया जायेगा। यह स्वीकृत होकर कौंसिल में गया था और कौंसिल में एक सशोधन हो गया कि पाँच सौ रुपया जुर्माना या दोनो।

श्री कृष्णकान्त सिंह—यह बहुत काफी है, इस पर विचार होना चाहिये....

उपाध्यक्ष—लगता है इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य बोलेंगे इसलिए अन्तराल के बाद भी इसको रखता हूँ। (अन्तराल)

उपाध्यक्ष—सचिव एक संदेश पढ़ेंगे।